



छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर
शंकर नगर मार्ग, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष 0771-2439564, फ़ैक्स-0771-2331525, 2446556 वेबसाईट : www.psc.cg.gov.in

क्रमांक 439/18/2017/प.गो.

रायपुर, दिनांक 08-03-2018


—:: विज्ञापित ::—

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के विज्ञापन क्रमांक 10/2017/परीक्षा/दिनांक 10.08.2017 प्रकाशन की तिथि 16.08.2017 द्वारा गृह-जेल विभाग के अंतर्गत विधि अधिकारी के कुल-02 पद विज्ञापित किए गए थे। उक्त परीक्षा का दिनांक 22 दिसम्बर 2017 को ऑनलाईन लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी।

विधि अधिकारी परीक्षा-2017 के विज्ञापित पद का 03 गुणा अर्थात् 06 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार हेतु चिन्हांकन किया गया है।

विधि अधिकारी परीक्षा-2017 हेतु साक्षात्कार तिथि, समय-सारिणी/विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाईट पर पृथक से जारी की जाएगी।

विधि अधिकारी परीक्षा-2017 के लिखित परीक्षा परिणाम आयोग की अधिकृत वेबसाईट www.psc.cg.gov.in पर जारी (अपलोड) कर दिए गए हैं।



परीक्षा नियंत्रक

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग,
रायपुर



छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर

शंकर नगर मार्ग, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष 0771-2439564, फ़ैक्स-0771-2331525, 2446556 वेबसाईट : www.psc.cg.gov.in

क्रमांक 438/18/2017/प.गो.

रायपुर, दिनांक 08-03-2018

लिखित परीक्षा परिणाम

विधि अधिकारी परीक्षा-2017

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के विज्ञापन क्रमांक 10/2017/परीक्षा/दिनांक 10.08.2017 प्रकाशन की तिथि 16.08.2017 द्वारा गृह-जेल विभाग के अंतर्गत विधि अधिकारी के कुल-02 पद विज्ञापित किए गए थे। दिनांक 22 दिसम्बर 2017 को आयोजित लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों व अर्ह अभ्यर्थियों की उपलब्धता के आधार पर कुल-06 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु चिन्हांकित किया गया है, जिनके अनुक्रमांक बढ़ते क्रम में निम्नानुसार हैं:-

1710100040	1710100184	1710100372
1710100383	1710100391	1710100401

Total:-06

टीप:-

1. विधि अधिकारी परीक्षा-2017 हेतु आयोजित लिखित परीक्षा के आधार पर साक्षात्कार हेतु उपर्युक्तानुसार चिन्हांकित अभ्यर्थियों की अर्हता छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के विज्ञापन क्रमांक 10/2017/परीक्षा/दिनांक 10.08.2017 की समस्त कंडिकाओं में वर्णित प्रावधानों तथा छत्तीसगढ़ शासन के विद्यमान नियमों के अधीन होगी।
2. किसी वर्ग अथवा उपवर्ग में चिन्हांकित अंतिम अभ्यर्थी के समान प्राप्तांक वाले अभ्यर्थी भी साक्षात्कार हेतु चिन्हांकित किए जाते हैं।
3. साक्षात्कार हेतु उक्त अभ्यर्थियों का चिन्हांकन पूर्णतः प्रावधिक है तथा चिन्हांकन/चयन के किसी भी स्तर पर किसी भी अभ्यर्थी को अयोग्य पाए जाने पर आयोग द्वारा अनर्ह घोषित कर चिन्हांकन/चयन प्रक्रिया से पृथक किया जा सकता है।
4. विधि अधिकारी परीक्षा-2017 हेतु साक्षात्कार तिथि, समय-सारिणी/विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाईट पर पृथक से जारी की जाएगी।
5. उक्त परीक्षा के साक्षात्कार हेतु चिन्हांकित अभ्यर्थियों के साथ-साथ लिखित परीक्षा में सम्मिलित अथवा लिखित परीक्षा हेतु आवेदन प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आयोग की वेबसाईट का नियमित अवलोकन करते रहे।
6. उपर्युक्तानुसार घोषित लिखित परीक्षा परिणाम में अंकण/तंकण/मुद्रण/प्रक्रिया संबंधी त्रुटि होने पर आयोग में संधारित मूल डाटा के आधार पर तैयार सूची ही मान्य होगी एवं तदनुसार लिखित परीक्षा परिणाम संशोधित किया जा सकेगा।

(छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदित)


परीक्षा नियंत्रक

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग,
रायपुर